

डिक्री बमूकहमें इब्तादाई

(आदेश 21 नियम 6.7 जाब्ला दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी - ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 42/2022

वादी

1. करण सिंह पुत्र गणपतसिंह
2. हिन्दूसिंह पुत्र गणपतसिंह जातियान राजपूत निवासीगण हिरासनी तहसील जायल, जिला नगौर,

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भोमसिंह पुत्र अमरसिंह
2. उम्मेदसिंह पुत्र अमरसिंह
3. दशरथसिंह दत्तक पुत्र सुल्तानसिंह
4. सुरेन्द्रसिंह पुत्र हमीरसिंह
5. रणवीरसिंह पुत्र हमीरसिंह
6. मगनकंवर पत्नि हमीरसिंह
7. सोनूकंवर पुत्री हमीरसिंह
8. अचनकंवर पत्नि गणपतसिंह
9. महेन्द्रसिंह पुत्र नथूसिंह
10. भंवरकंवर पत्नि नथूसिंह
11. स्तोष कंवर पुत्री नथूसिंह
12. हुक्मसिंह पुत्र श्रीपालसिंह
13. हनुमानसिंह पुत्र श्रीपालसिंह
14. उम्मेदसिंह पुत्र श्रीपालसिंह जातियान राजपूत निवासीगण हिरासनी तहसील जायल जिला नगौर
15. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल



दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -

- 1- वादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री गोविन्द राम ढाका, एडवोकेट
- 2- प्रतिवादी संख्या 1 से 14 की ओर से श्री रामप्रकाश बैन्दा एडवोकेट

:: डिक्री आदेश ::

दि 26/12/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री गोवन्दराम ढाका व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बैन्दा एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी संख्या 1 करणसिंह के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा कचरास में खेत खसरा नम्बर 432 रकबा 1.3274 हैक्टेयर पूरा खेत रखा गया है तथा मौजा हिरासनी के खेत खसरा नम्बर 8 रकबा 1.9020 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.9510 हैक्टेयर पूर्वी दिशा की तरफ रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

डी.डी. नं. 42/2022
जिला नगौर
राजस्थान

करण सिंह वगैराह बनाम भोमसिंह वगैराह

दावा क्रमांक 42/2022

जीसीएमएस क्रमांक 2022/62

- वादी संख्या 2 हिन्दूसिंह के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में हिरासनी के खेत खसरा नम्बर 8 रकबा 1.9020 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.9510 हैक्टेयर पश्चिमी दिशा की तरफ रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
- प्रतिवादी संख्या 2 उम्मेदसिंह पुत्र अमरसिंह के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा हिरासणी के खेत खसरा नम्बर 24 रकबा 1.0684 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
- प्रतिवादी संख्या 3 दशरथ सिंह(पुत्र अमरसिंह) दत्तक पुत्र सुल्तानसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा हिरासणी में खेत खसरा नम्बर 141 रकबा 2.5495 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
- प्रतिवादी संख्या 3 दशरथ सिंह(पुत्र अमरसिंह) दत्तक पुत्र सुल्तानसिंह, प्रतिवादी संख्या क्रमशः 12, 13, 14 हुक्मसिंह, हनुमानसिंह, उम्मेदसिंह पुत्रगण श्रीपालसिंह के हक बंट कब्जे काश्त सहखातेदारी में मौजा कचरास में खेत खसरा नम्बर 438 रकबा 0.4775 हैक्टेयर पूरा खेत रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
- प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

आज की तारीख लीज मुबलिक - बाबत् - खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर - फीस सदी सालाना ख.तारीख वसूल योग्य तक - को अदा करें। बसीबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26/12/2022 को जारी किया गया



(ओम प्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

मुद्दे	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीष्जर		
फीस कमीष्जर			बाबत् इजराय हुक्मीजान		
बबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(ओम प्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल